कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर

दिनांकः 12.02.2018

प्रेस–नोट

- **नागौर पुलिस की कार्यवाही, अवैध शराब की 1428 बोतलों के साथ दो मुलजिम गिरफ्तार।**

आज दिनांक 12.2.18 को पुलिस थाना परबतसर से श्री गंगासहाय ए.एस.आई. श्री मौ0 सईद हैडकानि0, श्री सुरेश चन्द्र हैड कानि0, रामनिवास गुर्जर कानि0, महेन्द्र कानि0 एवं कानि0 ड्राईवर श्री गरीबराम मय सरकारी वाहन के हल्का गश्त एवं लोकल एक्ट की कार्यवाही हेतु परबतसर बाईपास पहुँचे जहां पर खास मुखबिर द्वारा सूचना मिली की कुचामनसिटी की और से एक टाटा ट्रक 407 जिसके नम्बर जी0जे0 21 वी0 3031 आ रहा है उसमें अवैध अग्रेंजी शराब भरी हुई है मुखबिर की ईत्तिला विश्वसनीय होने पर पुलिस टीम द्वारा परबतसर बाईपास पर नाकाबंदी प्रारम्भ की गई नाकाबंदी के दौरान मुखबीर द्वारा बताया गया ट्रक आता हुआ दिखाई दिया जिसके चालक ने पुलिस टीम को देखकर वाहन को तेजगति से भगाते हुए नाकाबंदी तौडकर भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा ट्रक का पिछा कर रूकवाया जाकर ट्रक को चैक करने पर हिमाचल प्रदेश निर्मित स्पेशल पार्टी डिलक्स व रॉयल चेलेंज ब्रांण्ड के 119 कार्टुन में कुल 1428 बोतलें अवैध शराब बरामद की जाकर ट्रक में सवार दो आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रकरण सँख्या 39/18 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। मुलजिमान से पूछताछ करने दोनों ने अपना नाम क्रमशः नगाराम पुत्र श्री दूर्गाराम निवासी सियांगों की ढाणी हीरानगर शोभाला जैतमाल पुलिस थाना धोरीमना जिला बाडमेर एवं अर्जुन चौधरी पुत्र श्री किशनलाल निवासी चैनपुरा पुलिस थाना धोरीमना जिला बाडमेर होना बताया। पुलिस द्वारा आरोपियों से पुछताछ कि जा रही है।